

भारत का राजपत्र **The Gazette of India**

असाधारण
 EXTRAORDINARY
 भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
 PART II—Section 3—Sub-section (i)
 प्राधिकार से प्रकाशित
 PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 120] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 15, 1973/वैशाख 25, 1895
 No. 120] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 15, 1973/VAISAKHA 25, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
 as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE
 (Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATIONS
 CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 15th May 1973

G. S. R. 275(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 49 and rule 135 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 129/72-Central Excises, dated the 6th May, 1972.

[No. 123/73-CE]

SURJIT SINGH, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचनाएं

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 15 मई, 1973

सां० का० नि० 275 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 49 के उपनियम (2) और नियम 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 129/72-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 6 मई, 1972 को विरुद्धित करती है।

[सं० 123/73-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क]

सुरजीत सिंह, अवर सचिव।

(Department of Revenue & Insurance)

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 9th May 1973

G. S. R. 276 (B).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Mineral Products (Additional Duties of Excise and Customs) Act, 1958 (27 of 1958), the Central Government, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 152/72-Central Excises, dated the 8th June, 1972.

[No. 124/73-C. E.]

K. VISWANATHAN, Under Secy.

(राजस्व और बीमा विभाग)

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 15 मई, 1973

सां.कां.निं. 276(अ).—खनिज उत्पाद (अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क) अधिनियम, 1958 (1958 का 27) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं. 152/72 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 जून, 1972 को विखण्डित करती है।

[सं. 124 / 73—केन्द्रीय उत्पाद-शु. क.]

के. विश्वनाथन, अवर सचिव।